

क्रमांक:-सं.24(13)(1)स्था/मंत्रा/नियमितकरण/अभि/22/12389-93 दिनांक:- 07/09/2022

-: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक सं.3(3)(03)स्था/मंत्रा/अभि/2020/7961-80 दिनांक 14.07.2020 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा-2013 के Pickup against NJRs. LDC 2013 के चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 16.06.2020 से इस विभाग को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने हेतु आवंटित करने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को अभियोजन विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायको को परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप सूची में कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ सहायक के पद का नियमित वेतन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित 9.12.2017 के अनुसार शिड्यूल-1 (पार्ट-बी) नियम-5(VI) एवं (VII) के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमित नियुक्ति की जाकर, न्यूनतम मूल वेतन रूपये 20,800/- पर वेतन निर्धारित किये जाने तथा नियमानुसार वेतन भत्ते आदि के भुगतान की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | वरियता क्रमांक | नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम | उपस्थिति दिनांक | असाधारण अवकाश | परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक | नियमित करने की दिनांक | पदस्थापन कार्यालय |
|---------|----------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | R-1026 | श्री प्रद्युम्न सिंह राठौड़ पुत्र श्री गोपाल सिंह | 15.07.2020 | — | 14.07.2022 | 15.07.2022 | सं.नि.अ., झालावाड़ |
| 2. | R-1046 | श्री कमलकांत शर्मा पुत्र श्री सतीश चन्द शर्मा | 16.07.2020 | — | 15.07.2022 | 16.07.2022 | सं.नि.अ., पाली |
| 3. | R-1269 | श्री पंकज सिंह पुत्र श्री भवानी शंकर | 16.07.2020 | 26 दिवस | 15.07.2022 | 16.07.2022 | सं.नि.अ. राजसमन्द |

नोट :- जिन कार्मिको का परिवीक्षाकाल में वेतन पूर्व के पद के अनुसार वेतन संरक्षित (पे-प्रोटेक्ट) किया गया है उनका वेतन निर्धारण पे-प्रोटेक्ट के अनुसार किया जावे।

sd

(चंचल मिश्रा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिको का नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा:- सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन।
4. रक्षित पत्रावली।

Handwritten signature
6/9
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।